न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:– 81/2024 निर्णय दिनांक :– 8/5/2024

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. कमला देवी पत्नी नन्दकिशोर मीणा जाति मीणा निवासी देवलीगांव हाल निवास हाउस न0 8 बजरंग कॉलोनी जयपुर रोड चुंगी नाका देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थी–

उपस्थिति :– श्री बाबूलाल मीणा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

तहसीलदार देवली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 830 खसरा नम्बर 22 रकबा 1.08 है0, खसरा नम्बर 312 रकबा 1.53 है0, खसरा नम्बर 319 रकबा 1.00 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.61 है0 वाके ग्राम देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि के अडवे ही अन्य खातेदारान जो बहुबल एवं अपने लठ के जोर पर प्रार्थीया को डरा धमकाकर प्रार्थीया की भूमि में नाजायज रूप से कब्जा करने की नियत से मेड, डोल को हकाई कर नष्ट कर अपने खेतों में मिला लिया और प्रार्थीया को अपनी खातेदारी की भूमि में हकाई, बुआई व फसल काश्त करने में बेजा मजाअमत करते है। प्रार्थीया की खातेदारी भूमि में लडी मेड, डोल एवं सीमा चिन्ह को नष्ट कर दिया गया है। इस कारण मौके पर विवाद बना रहता है एवं प्रार्थीया को अपनी खातेदारी की भूमि में फसल काश्त करने में परेशानियों का सामना करना पड रहा है। उक्त आराजीयात की पत्थगढी करवाना चाहते है जिससे पडोसी खातेदारान से विवाद नही रहे और प्रार्थीया को हकाई बुआई करने में सुविधा हो सके। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत् श्रीमान तहसीलदार देवली को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो निम्न प्रकार है :— उक्त आराजी प्रार्थी की खातदारी में दर्ज है व कब्जे काश्त की है। आवेदक का अन्य पडोसी खातेदारान खसरा नम्बर 20 रामदेव पुत्र नन्दा जाति रेगर, सुमित्रा पति हरनाथ जाति नायक, खसरा नम्बर 318 मुकेश पुत्र सकराम जाति कीर, खसरा नम्बर 311 कैलाश पुत्र भूरालाल अन्य से सीमा विवाद है। जिन खातेदारों से सीमा विवाद है उनको पक्षकार नही बनाया गया है। उक्त आराजी भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमित राजकीय भूमि नही है। उक्त आराजी के सम्बंध में किसी न्यायालय में स्थगन नही है और पूर्व में सीमाज्ञान नही हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई ।

अधिवक्त प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार देवली को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पडोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबंदी सम्वत् 2074—77 में अंकित खाता संख्या 830 खसरा नम्बर 22 रकबा 1.08 है0, खसरा नम्बर 312 रकबा 1.53 है0, खसरा नम्बर 319 रकबा 1.00 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.61 है0 वाके ग्राम देवलीगांव जिला टोंक की विधिवत् पत्थरगढी प्रार्थी/प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा होने पर की जावे अन्यथा उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थीगण को अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली